



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 12 जून, 2026 ई0

ज्येष्ठ 22, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-3

संख्या- 319 / XVIII(03) / 2026-02(02) / 2026

देहरादून, 12 जून, 2026

अधिसूचना

प0 आ0-29

राज्यपाल, अधिसूचना संख्या- 1710/आठ-वि0भू0अ0अ0/देहरादून/2025 दिनांक 20 अगस्त, 2025 के क्रम में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत किरसाली चौक से कालागांव, अस्थल होते हुए रायपुर-कुमालड़ा कददूखाल मोटर मार्ग के कि0मी0 4 मालदेवता तक मार्ग के नव निर्माण जो कि एक महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन है, हेतु ग्राम अस्थल, तहसील देहरादून, जिला देहरादून में 0.1415 हैक्टेयर नाप भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है;

उपर्युक्त परियोजना हेतु निम्नलिखित भू-खण्डों का अर्जन किया जाना है, जो ग्राम अस्थल, परगना परवादून, तहसील देहरादून, जनपद देहरादून में अवस्थित है, जिनका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

ग्राम अस्थल, तहसील-देहरादून, जिला देहरादून

क0 सं0	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं	वृक्ष की संख्या	संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	156मि0	निजी नाप भूमि	भूमिधरी	0.03575 हेक्टेयर	कैप्टन एस0के0 सिंह पुत्र श्री आर0एन0 सिंह नि0 76 विकास लोक ने0 3, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून	उ0-भूमि अन्य द0- भूमि अन्य, पू0- भूमि अन्य, प0- भूमि अर्ज्य	—	—
2	156मि0	निजी नाप भूमि	भूमिधरी	0.00975 हेक्टेयर	श्री रमेश, श्री सुरेश, श्री दिनेश पुत्र श्री दीपचन्द, श्री अनूप, श्री मनोज कुमार, श्री राजेश सिंह पुत्रगण श्री प्रेम सिंह, श्रीमती विनोदनी देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह नि0 ग्राम अस्थल पो0ओ0 मालदेवता	उ0-भूमि अन्य द0- भूमि अन्य, पू0- भूमि अन्य, प0- भूमि अर्ज्य	—	—
3	157ख	निजी नाप भूमि	भूमिधरी	0.066 हेक्टेयर	कैप्टन एस0के0 सिंह पुत्र श्री आर0एन0 सिंह नि0 76 विकास लोक ने0 3, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून	उ0-भूमि अन्य द0- भूमि अन्य, पू0- भूमि अन्य, प0- भूमि अर्ज्य	—	—
4	157ख	निजी नाप भूमि	भूमिधरी	0.015 हेक्टेयर	श्री महेन्द्र प्रताप पंवार पुत्र स्व0 श्री कुंवर सिंह पंवार, निवासी ग्राम अस्थल पो0ओ0 मालदेवता	उ0-भूमि अन्य द0- भूमि अन्य, पू0- भूमि अन्य, प0- भूमि अर्ज्य	—	—
5	157ख	निजी नाप भूमि	भूमिधरी	0.015 हेक्टेयर	श्री मंगल प्रताप पंवार पुत्र स्व0 श्री कुंवर सिंह पंवार, नि0 ग्राम अस्थल पो0ओ0 मालदेवता	उ0-भूमि अन्य द0- भूमि अन्य, पू0- भूमि अन्य, प0- भूमि अर्ज्य		
		योग-		0.1415 हे0				

राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक् जांचोपरान्त की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्बों की संख्या शून्य है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी- हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून के कार्यालय / तहसील डोईवाला में किसी भी कार्य दिवस में योजना से सम्बन्धित भू-अभिलेखों का अवलोकन किया जा सकता है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को जिलाधिकारी देहरादून, उपजिलाधिकारी(सदर) देहरादून, तहसीलदार देहरादून, नगर पालिका देहरादून, खण्ड विकास अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में एवं एन0आई0सी0, देहरादून की वेबसाईट पर अवलोकन किया जा सकता है।

आज्ञा से,

डॉ0 सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,
सचिव राजस्व।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.319/XVIII(03)/2026-02(02)/2026, dated June 12, 2026 for general information.

No. 319/XVIII(03)/2026-02(02)/2026

Dated Dehradun, June 12, 2026

NOTIFICATION

Under sub-section (1) of section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013), in continuation of the Notification No. 1710/VIII-SLAO/Dehradun/2025, dated 20 August, 2025, the Governor is pleased to declare that the State Government is satisfied that a total of 0.1415 Hectare land acquisition is required in the Village Asthal, Tehsil Dehradun District Dehradun for new construction of road from Kirsali Chowk to Kalagaon, Asthal via Raipur-Kumalda Kaddukhaal motor road up to Km 4 Maldevta under Raipur assembly constituency of Dehradun district. which is an important public purpose;

The details of the plots for acquisition under the above project, which are situated at Village Asthal, Pargana Parwadoon, Tehsil Dehradun, District Dehradun, are as follows: -

Village-Asthal, Tehsil-Dehradun, District-Dehradun

S.No	Surver No	Type of Tital	Type of land	Area under acquisition (Hectare)	Name and adress of person interested	Boundaries	Number of Trees	Strature
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	156M	private land	landlord	0.03575 Hectare.	Captain S.K. Singh son of Shri R.N. Singh residence of 76 Vikas Lok No. 3, Sahastradhara Road, Dehradun	N- Land Other S- Land Other, E- Land Other, W- Land Other	—	—
2	156M	private land	landlord	0.00975 Hectare.	Mr. Ramesh, Mr. Suresh, Mr. Dinesh son of Mr. Deepchand, Mr. Anoop, Mr. Manoj Kumar, Mr. Rajesh Singh son of Mr. Prem Singh, Mrs. Vinodni Devi wife of Mr. Prem Singh, residence village Asthal P.O. Maldevta	N- Land Other S- Land Other, E- Land Other, W- Land Other	—	—
3	157Kha	private land	landlord	0.066 Hectare	Captain S.K. Singh son of Shri R.N. Singh residence of 76 Vikas Lok No. 3, Sahastradhara Road, Dehradun	N- Land Other S- Land Other, E- Land Other, W- Land Other	—	—
4	157Kha	private land	landlord	0.015 Hectare	Shri Mahendra Pratap Panwar, son of late Shri Kunwar Singh Panwar, resident of village Asthal, P.O. Maldevta	N- Land Other S- Land Other, E- Land Other, W- Land Other	—	—
5	157Kha	private land	landlord	0.015 Hectare	Shri Mangal Pratap Panwar, son of late Shri Kunwar Singh Panwar, resident of village Asthal, P.O. Maldevta	N- Land Other S- Land Other, E- Land Other, W- Land Other		—
		योग—		0.1415 Hec.				

The Governor is satisfied that this declaration is made after hearing of objections of interested persons with the due investigation as provided in section 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no 30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to land acquisition is nil.

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug

or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

Note- The interested person may inspect the project land record in any working day at the office of the District land acquisition officer, District Dehradun /Tehsil Doiwala . The Rehabilitation and Resettlement plan can be viewed in the office of District Magistrate Dehradun, Sub-District Magistrate (Sadar) Dehradun, Tehsildar Dehradun, Municipal Corporation Dehradun, Block Development Officer, Raipur and on the website of NIC, Dehradun.

By Order,

DR. SURENDRA NARAYAN PANDEY,
Secretary Revenue.